Om Ayurvedic Medical College and Hospital

(Om Health & Education Council/ Reg. No. 8925/2001)

Bharat – Bharti, Jamthi, Betul, Pin. – 460001, (M.P.)

Ref. No - OHECA/21-22/224 दिनांक 14/08/21

सूचना

समस्त छात्र–छात्राओ को सूचित किया जाता है कि आयुष मंत्रालय म.प्र. के पत्र क्रमांक /एफ–186/5526–76/2021/4–स्थापना भोपाल दिनॉक 12.08.2021 के अनुसार 16.08.2021 से प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालय को निम्न दिशा–निर्देश के अनुसार ऑफलाइन क्लासेस संचालित करने का आदेश है।

प्राचार्य

प्राचार्य
ओम आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय
जामठी पो. (भारत भारती)
जिला बैतूल (म.प्र.)

संलग्नः– दिशा–निर्देश की प्रतिलिपि।

Address:- Bharat-Bharti, Jamthi Tehsil+Distt_Betul, (M.P.) 460001
Phone No.: 07141-261753, Mob. No.: 9425361756, 7000647113
Website : www.oamc.in
E-mail : oamcbetul18@gmail.com

संचालनालय आयुष, म0प्र0
(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक – 12/8/2021

–दिशा–निर्देश–

प्रदेश के शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत ऑफलाइन क्लासेस संचालन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

1 प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगें कि समस्त स्टॉफ एवं छात्र–छात्राओं का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया है, यदि किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया है तो प्राथमिकता से तुरन्त टीका लगवाने हेतु निर्देशित करे, तदोपरान्त ही उन्हें संस्था में उपस्थित होने हेतु अनुमति प्रदान करे।

2 महाविद्यालय में उपस्थिति हेतु छात्र–छात्राओं के अभिभावकों से सहमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये।

3 संस्थानों के समस्त कक्ष एवं वाशरूम/बाथरूम की प्रतिदिवस साफ–सफाई एवं सेनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाये।

4 महाविद्यालय में प्रार्थना–सभा एवं अन्य सामूहिक गतिविधियॉ प्रतिबंधित रहेगी।

5 यदि महाविद्यालय द्वारा परिवहन हेतु वाहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों/अन्य वाहनो में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जाये एवं वाहनों को प्रतिदिन 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के उपयोग से सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाये।

6 महाविद्यालयों में आवश्यक होने पर संबंधित छात्र/स्टाफ का रेण्डम कोविड–19 टेस्ट कराया जाये।

7 समय–समय पर जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।

समस्त महाविद्यालय उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

12/8/21
(डॉ0 अरविंद पटेल)
औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म0प्र0

269/F:\PANKAJ\2021\LETTER 2021.DOCX